

81/11/18 - 20

11.6.18

99

99

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखवाटी (सीकर)

लोक अदालत

धीरमोहन अधिकारी

तहसीलदार रामगढ़-शेखवाटी को भेजकर लेख है कि आदेशांतर रामगढ़ राजस्व रिकार्ड में अमल दरमद शीष किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाई।  
को सूचना है।

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखवाटी (सीकर)

लोक अदालत

धीरमोहन अधिकारी

14.6.18

2640

क्र.सं.	ग्राम	खता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	रामगढ़	16	क ह शेखवाटी	शेखवाटी क ह शेखवाटी
			क ह शेखवाटी	शेखवाटी
			क ह शेखवाटी	शेखवाटी

पर्याप्त के खता दुरुस्ती पर्याप्त पर एवं पटवारी को सूचना है।  
तहसीलदार रामगढ़-शेखवाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में  
ग्राम ..... 81-121/154 पु.शे.रा. में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड  
खता संख्या ..... 81-121/154 पु.शे.रा. में अमल दरमद के आदेश दिये जाते हैं:-

आदेश :-

रामगढ़ उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखवाटी (सीकर)  
(धीरमोहन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प